



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4204]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941

No. 4204]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/PAUSHA 9, 1941

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4706(अ).—दिनांक 17.08.2006 को अधिसूचित तथा दिनांक 16.05.2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक की अर्हता, शक्ति और कार्य नियम, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के निम्नलिखित अधिकारियों को इस अधिसूचना की तारीख से सीईए में उनके कार्यकाल तक, उपर्युक्त नियम में उल्लिखित अर्हता और शर्त को पूरा करने के अध्यक्षीन, उनके संबंधित आरआईओ(ई), आरआईओ(ई) तथा सीईआई प्रभाग में सीईए के लिए वैद्युत निरीक्षक नियुक्त करती है:-

क्रम सं.	नाम (श्री)	पदनाम	तैनाती स्थान	के रूप में प्रस्तावित
1	दिनेश कुमार बौरी	उप निदेशक (कार्यकारी अभियंता)	आरआईओ(ई)	वैद्युत निरीक्षक
2	गणेश्वर राव जाडा	उप निदेशक (कार्यकारी अभियंता)	आरआईओ(ई)	वैद्युत निरीक्षक
3	राकेश गोयल	निदेशक	सीईआई प्रभाग	वैद्युत निरीक्षक

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, सीईए के अधिकार क्षेत्र के भीतर वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपना कार्य निष्पादित करेंगे।

सीईए यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त अधिकारी उन्हें अपने संबंधित क्षेत्र में सौंपे गए कार्यों के संबंध में वैद्युत निरीक्षक नहीं होंगे।

वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/5/2016-आरएण्डआर]

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2019

S.O. 4706(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualification, Power and Function of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17.8.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints the following officers of Central Electricity Authority as Electrical Inspector for CEA, in their respective RIO (E), RIO (E) and CEI Division from the date of this Notification till their tenure in CEA, subject to fulfilment of the qualification and condition mentioned in the above Rule:

Sl.No.	Name (Shri)	Designation	Place of Posting	Appointed as
1	Dinesh Kumar Bauri	Deputy Director (Executive Engineer)	RIO (E)	Electrical Inspector
2	Ganeswara Rao Jada	Deputy Director (Executive Engineer)	RIO (E)	Electrical Inspector
3	Rakesh Goyal	Director	CEI Division	Electrical Inspector

The above mentioned officers shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the jurisdiction of CEA, as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

CEA will ensure that above said officers will not be the Electrical Inspectors in respect of the work assigned to them in their respective area.

The officers appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/5/2016-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Chief Engineer